प्रेस नोट 07.04.2021

एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्रीशीट अपराधी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.04.2021 को थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ढेकुलिया घाट पुल के पास से हिस्ट्रीशीटर अपराधी (हिस्ट्रीशीट नम्बर 81 ए) राकेश चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी अंबेडकर नगर मुहम्मला भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–

दिनांक 06.04.2021 को थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान दरियाबाद के पास से शिवचन्द्र पासवान पुत्र स्व0 झूरी पासवान निवासी दरियाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से एक प्लास्टिक के जरिकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 07.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा अविनाश सिंह निवासी चकौथी, राजबंस राम, चन्द्रशेखर निवासीगण दुल्लहपट्टी थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा त्रिृषिकेश कुमार, वीरेन्द्र कुमार, सोनू निवासीगण पाउस थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मूसरत अब्बास निवासी जंगीपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर, कमलेश निवासी आदमपुर असना थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा अर्जुन सिंह, पंकज सिंह निवासीगण नसीराबाद कला, शिवम सिंह निवासी रतनपुरा थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा रामप्रेवश, शिवचन्द्र निवासीगण उम्मनपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा शिवमुनी सिंह निवासी नेवादा थाना रानीपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा सराफतअली निवासी हंसोपुर थाना घोसी, पप्पू साही निवासी हट्ठीमदारी, सैन कुमार, अजय कुमार निवासीगण निजामुद्दीनपुरा, अब्दुल सफिक, अब्दुल रब निवासीगण छित्तनपुरा, अवधेश निवासी दक्षिणटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।